कारस्या PV

राजस्थान सरकार

जनरल रूल्स सिविल रूल्स ... आर्डर ... नं. 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2021/300

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177 पाबा	12/2021	9.4.21	5/12/24	3.5.24 जवाब प्रतिवादी 16/7/24 23/7/24 30/7/24 20/8/24 9/9/24 17/9/24 7/10/24 16/10/24 12/11/24 28/11/24 Adm 4/12/24 5/12/24

अनवान

राज सरकार जरिये तहसीलदार V/S मन्नालाल पिता ऊंकार मीणा

श्री ... पिता ... कारस्या

B. R. KGB. ... कारस्या

निवासी बिजौलिया

निवासी ...

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोन्डेन्ट

... एल

हकीदार

श्री जगदीशचन्द्र धाकड़

श्री ...

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

सरकार **बनाम** मन्नालाल S/o ऊंकार मीणा

किस्म मुकदमा 177 RTA नम्बर 12 सन **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.4.2021	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 16/4/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
16/4/21	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 9.6.21 को पेश हो।	
9/6/21	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 22.7.21 को पेश हो।	
22/7/21	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगणों की पूर्व में तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पूर्व में अधिकार पत्र जगदीश जाकड़ अधिवक्ता ने पेश किया था। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 3.8.21 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/12/24 को वास्ते A/O पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
5/12/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए एवं विस्तृत निर्णय लिखवाया गया। डिक्री मुर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 12/2021

दायर तारीख 09.04.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

01. मन्नालाल पिता ऊंकार मीणा निवासी कांस्यां **(मृतक)** रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.1 रमेशचन्द पुत्र मन्नालाल मीण निवासी कांस्या रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.2 लीला पुत्री मन्नालला मीणा पत्नि देवराज मीणा निवासी गोविन्दपुरा तह बिजौलियां रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.3 सुशीलादेवी पुत्री मन्नालाल पत्नि गणेश मीणा निवासी चेनपुरिया तह बिजौलियां रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.4 दाखी पत्नि मन्नालाल मीणा निवासी कांस्या रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

2.0 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादीगण
2. जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–05/12/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 115 में अंकित खसरा नम्बर 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही द्वितीय व जाव द्वितीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा संख्या 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि में से 1610 वर्ग मीटर पर पत्थर कटाई अवैध खनन किया है। शेष खसरे पर पत्थर व मलबा डालकर अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगणें ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

पेज संख्या 02 पर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने बताया की प्रतिवादी फोत हो चुका है। पैरोकार सरकार ने मृतक के वारिसान का संशोधित शीर्षक पेश किया। मृतक के वारिसान को तामील भेजी गई जो बाद तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। मृतक के वारिसान के ओर से अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ ने अन्डरटेकिन्ग ली एवं जबाब व अधिकार पत्र के लिए अवसर चाहा । अधिवक्ता को कई अवसर देने पर भी अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं किया एवं पत्रावली मे अधिवक्ता ने नो इन्स्ट्रक्शन किया। प्रतिवादीगणों ने स्वयं ने भी कोई जबाव प्रस्तुत नही किया। विपक्षी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या कलां , भीलवाड़ा की बाद तामील प्राप्त हुई। बैंक की और से कोई पेश नहीं हुआ ना ही जवाब पेश किया।

दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा, जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस, खनिज विभाग का मौका पंचनामा की प्रतिलीपी पेश की जो शामिल पत्रावली है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया और आदेश दिए जाते हैं कि:–

<u>–: आदेश :–</u>

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 115 में अंकित खसरा नम्बर 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही द्वितीय व जाव द्वितीय में अवैध खनन/अकृषी कार्य किये जाने से उक्त खसरा नम्बर 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही द्वितीय व जाव द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/12/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

बइजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 12/2021

दायर तारीख 09.04.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

01. मन्नालाल पिता ऊंकार मीणा निवासी कांस्या (मृतक) रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.1 रमेशचन्द्र पुत्र मन्नालाल मीण निवासी कांस्या रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.2 लीला पुत्री मन्नालला मीणा पत्नि देवराज मीणा निवासी गोविन्दपुरा तह बिजौलियां रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.3 सुशीलादेवी पुत्री मन्नालाल पत्नि गणेश मीणा निवासी चेनपुरिया तह बिजौलियां रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

1.4 दाखी पत्नि मन्नालाल मीणा निवासी कांस्या रहनः– बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

02. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या, भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांस्या

........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता डिक्रीदार
2. जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता मदयून

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक05/12/2024

डिक्री दिनांक05/12/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ग्राम कांस्या पटवार मण्डल कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 115 में अंकित खसरा नम्बर 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही द्वितीय व जाव द्वितीय में अवैध खनन/अकृषी कार्य किये जाने से उक्त खसरा नम्बर 67 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही द्वितीय व जाव द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....
बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 वर्ष 2024 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक			बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा